कार्यालय
निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें,
उत्तराखण्ड़, देहरादून।

दिनांक– 08 जून 2024

संख्या– 1504 – 1508 / जी–427(स्थानान्तरण–2024) / 2024–25

आदेश

उत्तराखण्ड़ शासन की अधिसूचना संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक–05 जनवरी 2018 जिसके द्वारा उत्तराखण्ड़ लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण विधेयक–2017 प्रख्यापित किया गया है, के प्राविधानानुसार विभागीय स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर निम्नलिखित पंचकर्म सहायकों (पंचकर्म टैक्नीशियन) को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–3 में उल्लिखित तैनाती स्थान से स्तम्भ–4 में उल्लिखित नवीन तैनाती स्थान में स्थानान्तरित किया जाता है।

क्र0 सं0	कर्मचारी का नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	नवीन तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	प्रियंका राजपूत	आयुष विंग हरिद्वार	रा0आ0चि0 चम्बा टिहरी	जनहित–धारा 7 (क)
1	प्रियंका राजपूत	रा0आ0चि0 नरेन्द्रनगर टिहरी	रा0आ0चि0 रानीचौरी उत्तरकाशी	जनहित–धारा 7 (क)
2	कु0 पूजा	रा0आ0चि0 आदिबद्री चमोली	रा0आ0चि0 नरेन्द्रनगर टिहरी	जनहित धारा–10 (क)
3	कु0 अनुपा	आयुष विंग महिला चम्पावत	रा0आ0चि0 आदिबद्री चमोली	जनहित धारा–10 (क)
4	कु0 कोमल	आयुष विंग हरिद्वार	रा0आ0चि0 बडकोट, उत्तरकाशी	जनहित–धारा 7 (क)
5	श्री दयालाल	आयुष विंग बौराड़ी टिहरी	आयुष विंग चमियाला टिहरी	जनहित–धारा 7 (क)
6	श्री जितेन्द्र सिंह	रा0आ0चि0 चमियाला टिहरी	रा0आ0चि0 मुनिकीरेती टिहरी	जनहित धारा–10 (क)
7	श्री सुभाष गौड़	आयुष विंग गोपेश्वर	आयुष विंग हरिद्वार	जनहित धारा–10 (क)
8	श्री नन्दलाल	रा0आ0चि0 रानीचौरी टिहरी	रा0आ0चि0 झाझरा, देहरादून	अनुरोध धारा–17 (ख)(4)
9	श्रीमती उषा चौहान	रा0आ0चि0 रूद्रपुर उधमसिंहनगर	रा0आ0चि0 बडकोट, उत्तरकाशी	अनुरोध धारा–17 (ख)(7)
10	श्री मनु	रा0आ0चि0 कोटद्वार, पौड़ी	रा0आ0चि0 चम्बा टिहरी	अनुरोध धारा–17 (ख)(7)
11	श्री हरीश भट्ट	रा0आ0चि0 सनगाड़ बागेश्वर	रा0आ0चि0 रूद्रपुर उधमसिंहनगर	अनुरोध धारा–17 (ख)(7)
12	श्रीमती कंचन बजेठा			

1. सम्बन्धित कार्मिक आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना वर्तमान तैनाती स्थान से अवमुक्त/कार्यमुक्त होगें। स्थानान्तरित कार्मिक धारा–22(12) के प्राविधानानुसार स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 10 दिन के अन्दर नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेगें। निर्धारित समायान्तर्गत अवमुक्त/कार्यमुक्त न होने की दशा में सम्बन्धित कार्मिक का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा। अवमुक्त होने वाले कार्मिक नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण करने की अवधि (JOINING TIME) का उपभोग नवीन तैनाती के पद का कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त ही कर सकेगें तथा अवमुक्ति के उपरान्त मात्र अनुमन्य यात्रा अवधि का ही उपभोग कर सकेगें।
2. स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के नवीन तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्ध धारा–24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित कार्मिक द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के 03 दिवस के अन्तर्गत स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा, जिसके द्वारा प्रत्यावेदनों का निस्तारण कर दिया जायेगा।

8/6/24
(डा0 विजय कुमार जोगदण्डे)
निदेशक

संख्या एवं दिनांक तदैव।

1. सचिव आयुष एवं आयुष शिक्षा, उत्तराखण्ड़ देहरादून।
2. समस्त जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, उत्तराखण्ड़।
3. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड़।
4. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा सम्बन्धि जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी।
5. गार्ड फाईल।

(डा0 विजय कुमार जोगदण्डे)
निदेशक